IN THE COURT OF MUNSIF, GOGRI
T.S- 113/2022

ORDER **09/02/2024**	वादी एवं प्रतिवादी की हाजिरी है। वाद पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–7 सचिन मिस्त्री उर्फ सचिन कुमार के आवेदन दिनांक–07.12.2023 एवं दिनांक–11.12.2023 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदन दिनांक– 11.12.2023 के माध्य से प्रतिवादी सं0–7 निवेदन करते है कि प्रतिवादी मजदूरी हेतु विगत वर्षो से घर से बाहर चंडीगढ़ में रहता है। जिसके कारण प्रतिवादी को वाद की जानकारी नहीं हो सकी। प्रतिवादी को जानकारी नहीं होने के कारण वह वाद में निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सका। प्रतिवादी जब छठ पर्व के अवसर पर घर आया तब उसे वाद की जानकारी हुई। तत्पश्चात प्रतिवादी सं0–7 दिनांक–24.11.2023 को वाद में उपस्थित हुआ। अतः प्रतिवादी सं0–7 विलंब को माफ करते हुए वाद में संघर्ष करने का अवसर देने का निवेदन करता है। आवेदन दिनांक–07.12.2023 के द्वारा प्रतिवादी सं0–7, प्रतिवादी सं0–1 से 6 के दाखिल बयान–तहरीर को ही(जो वाद में ग्रहण किया जा चुका है) अपने बयान–तहरीर के रूप में वाद में स्वीकृत करने का निवेदन करता है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–7 के विरूद्ध गजट का प्रकाशन भी किया जा चुका हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0–7 घर के बाहर चंडीगढ़ मे मजदूरी करता है। जिसके कारण उसे वाद की जानकारी नहीं हो सकी और वह समय सीमा के अंतर्गत वाद में उपस्थित नहीं हो सका। विधि का यह स्थापित नियम है कि पक्षकार को संघर्ष का अवसर देना न्यायहित मे हैं। अतः प्रतिवादी सं0–7 के विलंब को माफ करते हुए आवेदन दिनांक–07.12.2023 को मो0 1500/– (एक हजार पाँच सौ) रूपये के शुल्क पर जो प्रतिवादी सं0–7 द्वारा वादी को देय होगा के शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी सं0–1 से 6 के बयान तहरीर को प्रतिवादी सं0–7 के बयान तहरीर के रूप मे वाद मे ग्रहण किया जाता है। वाद दिनांक–15.02.2024 वास्ते मध्यस्थता।	

	लेखापित मुंसिफ	

	डक ैंतपुनम भंपकमत ब्पअपस श्रनकहम ;श्रतण क्पअण्द्ध	